भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2128

दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

खाद्य और पोषाहार बोर्ड

2128. श्री विनोद कुमार सोनकरः

श्री भोला सिंहः

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

डॉ॰ जयंत कुमार रायः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक पोषाहार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए खाद्य और पोषाहार बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है, इसकी संरचना, कार्य और बजट क्या है;

(ग) क्या खाद्य और पोषाहार बोर्ड महिलाओं और बच्चों हेतु विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की जांच हेतु खाद्यान्न जांच प्रयोगशालाओं का गठन किया है, यदि हां, तो उन प्रयोगशालाओं और उनकी उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने खाद्य और पोषाहार बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के अधीन 1964 में खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) का गठन किया गया तथा केंद्र सरकार के विभाग की सभी शक्तियों के साथ 1993 में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अंतरित किया गया। खाद्य एवं पोषण बोर्ड केंद्र में राष्ट्र व्यापी ढांचे के साथ मंत्रालय का तकनीकी प्रकोष्ठ है जिसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं जो फरीदाबाद और मुम्बई कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं तथा इसकी 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विकास यूनिटें (सीएफएनईयू) हैं जो 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अपने 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एफएनबी मुख्यालय सीएफएनईयू के कामकाज के लिए तकनीकी एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है जो समुदाय में/समुदाय के लिए पोषण विस्तार कार्यक्रम संचालित करते हैं।

12वीं पंचवर्षी योजना में खाद्य एवं पोषण बोर्ड को देश में कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए मुख्य खिलाड़ियों में से एक के रूप में योजना आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त की गई तथा एफएनबी का प्रमुख कार्य इस प्रमुख चुनौती से निपटना है।

एफएनबी के महत्वपूर्ण कार्य हैं : पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करना तथा विभिन्न पोषण उन्मुक्त क्षेत्रक हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन पर नजर रखना, नीति निर्माताओं एवं कार्यान्वयन कर्ताओं की हिमायत एवं संवेदीकरण के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर पोषण के मुद्दों को लाने के संबंध में गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं समन्वय करना, शिशु एवं बाल पोषण सहित सभी स्तरों पर कुपोषण की रोकथाम एवं नियंत्रण पर अभियान चलाना, सूक्ष्म पोषक तत्वों से जुड़े कुपोषण में कटौती पर हस्तक्षेप, मौजूदा पोषण संबद्ध हस्तक्षेपों की सामग्री एवं प्रदायगी में सुधार, पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेशेवर संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करना।

एफएनबी की प्रमुख गतिविधियां हैं : सरकारी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, बुनियादी स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, फलों एवं सब्जियों के घरेलू स्तर पर परिरक्षण में प्रशिक्षण-सामान्य तथा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों तथा शहरी मलीन बस्तियों में पोषण शिक्षा कार्यक्रम, आंगनवाड़ी सेवा आयोजना के पूरक पोषण तथा पोषण एवं स्वास्थ्य घटक की निगरानी, पोषण तथा पोषण से संबंधित नीतिगत मामलों पर अंत:क्षेत्रक समन्वय एवं अनुवर्ती कार्रवाई, व्यापक पोषण जागरूकता अभियान, पोषण शिक्षा/प्रशिक्षण सामग्री का विकास, निर्माण एवं वितरण, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग करके कम लागत वाले पोषक व्यंजनों का विकास एवं संवर्धन, पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन (जैसे कि एनएनडब्ल्यू, डब्ल्यूबीएपुडब्ल्यू, आईडीडी दिवस, डब्लयूएफडी, आईसीडीएस सप्ताह, आईडब्ल्यूडी आदि), हमारे देश की महिलाओं एवं बच्चों के लिए शिशु दूध प्रतिस्थानी, फीडिंग बोतल एवं शिशु आहार (निर्माण, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत निधियां इस प्रकार हैं :

बजट : योजना शीर्ष के तहत		
वर्ष	आबंटित निधियां (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
2017-18	52.85	18.38
2018-19	53.45	34.54
2019-20	6.96	-
2020-21	6.76	-

(घ) : आईसीडीएस स्कीम के तहत प्रदान किए जाने वाले पूरक भोजन की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए 4 नई अधुनातन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं- एक फरीदाबाद में केंद्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और खाद्य के भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म जीवि पैरामीटरों की जांच के लिए नवीनतम उपकरण के साथ कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में तीन क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं। इस समय सीएफटीएल फरीदाबाद, आरएफटीएल चेन्नई और आरएफटीएल कोलकाता क्रियाशील हैं तथा प्रोटीन एवं कैलोरी के लिए खाद्य के नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। आरएफटीएल मुम्बई का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ड.) : वर्ष 2015 में एम्स, नई दिल्ली द्वारा "कुपोषण तथा खाद्य एवं पोषण बोर्ड की भूमिका" समिति द्वारा एफएनबी का मूल्यांकन किया गया जिसने एफएनबी के पुनर्गठन की सिफारिश की ताकि गृह विज्ञान कालेजों के सहयोग से फील्ड यूनिटों में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग/हायरिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जागरूकता, अभियान, प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियों, पोषण एवं अन्य संबद्ध मुद्दों पर नियमित अंतराल पर अक्सर प्रशिक्षण पर एफएनबी की आउटरीच को सुदृढ़ किया जा सके।

****